

फॉर्म अहर्कोम

(नियम 20)

राज्य असेम्बली सहायक सचिव/सचिव/अधिकांशी मुद्रामालाजी

नाम: (1) सुभाष चंद्र बोस (2) सुभाष चंद्र बोस (3) सुभाष चंद्र बोस (4) सुभाष चंद्र बोस (5) सुभाष चंद्र बोस

दिनांक: 15/11/14 अति. मुद्रण नं. 15/14

तारीख मुद्रण: बुध्न कार्यवाही मय इनिशियल जप

नाम व तारीख अहर्कोम जो इस मुद्रण की तारीख में जारी हुए

8/11/14

प्राथी/वाकी/अपीलेट को तारीख थी 15/11/14
 ने यह प्रार्थना पत्र/वाक/अपील माया 15/11/14 राजस्थान
 कोषतकारी अधिनियम/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो सर्व
 संपिष्ट हो। विप्राथी / प्रतिवाकी / रेप्रीसेन्ट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर
 पत्रावली वास्तु जवाब विनांक 16/11/14 को पेश हो।

22/11/14

राज्य असेम्बली सचिव/सचिव/अधिकांशी मुद्रामालाजी

16-11-14

प्राथी/वाकी/अपीलेट को तारीख थी 16/11/14
 ने यह प्रार्थना पत्र/वाक/अपील माया 16/11/14 राजस्थान
 कोषतकारी अधिनियम/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो सर्व
 संपिष्ट हो। विप्राथी / प्रतिवाकी / रेप्रीसेन्ट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर
 पत्रावली वास्तु जवाब विनांक 17/11/14 को पेश हो।

राज्य असेम्बली सचिव/सचिव/अधिकांशी मुद्रामालाजी



07/15

पत्रावली - हाजिर राजस्व लोक कदालत
केम्प कोर्ट मुकाम लडा में फंश हुई।
वादी एनुमागराम मय वकील उपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया। वादी एनुमागराम
व वकील वादी को सुना एवं मजमें काम
से जानकारी ली गई। प्राण लक्ष्यों के आधार
पर एवं पत्रकारण सह खालदार होने से
इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश
दिनांक 16.09.2014 को और आगे चलना
उचित प्रतीत नहीं होगा। अतः प्रत्यक्ष
का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर
इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश
दिनांक 16.09.2014 को वादी के हिस्से
लक स्ट्राई निषेधाज्ञा पुस्त एवं अन्य
भूमि पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फंशल सुमार लंकर
दाखिल स्थल है।

दिनांक 15/9/16
सहायक कलेक्टर
SDO, गुड़ामालानी